

यूपीडा

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी

सी-13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

☎ 0522-2301142 / 2301492 / 4108184, फ़ैक्स: 0522-2301142,

ईमेल: upeidapdf@gmail.com

पत्रांक- 3123

/यूपीडा/619

दिनांक: 21 दिसम्बर, 2017

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
17 राण प्रताप मार्ग,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- लखनऊ से गाजीपुर (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 8.4165 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 17.5714 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 27942 वृक्षों/ पौधों के पालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1648 / 11 - सी - FP / UP / रोड / 28804 / 2017 दिनांक 20.12.2017 तथा उ०प्र० शासन वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2 का पत्रांक पी-154/14-2-2017-800 (143) / 2017 दिनांक 18.12.2017

महोदय,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में विभिन्न जनपदों में प्रभावित कुल 17.5714 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है। इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि भू-स्वामित्व वाले विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है तथा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामित्व वाले विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इस आशय की मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा की वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वचनबद्धता के आधार पर भू-हस्तांतरण सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(विश्वजीत राय)

अधिकृत अधिकारी

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव, अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3. वन संरक्षक, फैजाबाद, आजमगढ़ एवं बाराणसी।
4. प्रभागीय निदेशक/ वनाधिकारी, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर।